दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, सोमवार 21 अप्रैल 2025
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

तालाब में डूबकर मासूम की मौत, दूसरी गंभीर

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। न्यायधानी बिलासपुर में दो सगी बहने तालाब में डूब रही थी। इनमें से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालात गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिहार निवासी विकास साहू अपने परिवार के साथ तिफरा में किराए का मकान लेकर रहता है और फेरी लगाकर अपनी रोजी-रोटी कमाता है। रोज की तरह वह फेरी लगाने के लिए निकल गया था। इस दौरान उसकी दोनों बेटियां अनोखा कुमारी 4 वर्ष और बबीता कुमारी 6 वर्ष घर के पास खेल रहे थे। कुछ समय बाद लोगों ने तिफरा तालाब में दोनों बच्चियों को नहाते हुए देखा इसके बाद बच्चों की चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर तालाब की ओर गए। जहां बड़ी बेटी बबीता कुमारी की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं छोटी बच्ची को बचा लिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के लिए भेज दिया है।

बस्तर संभाग के कई जिलों में बदली-बारिश के आसार

रायपुर (आरएनएस)। देशभर में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। प्रदेश के कई जेलों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। शनिवार शाम को राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदला था और हल्की बारिश भी हुई थी। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति बनी हुई है और इसके साथ ही आज भी प्रदेश के कई स्थानों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार-पांच दिनों में दिन के तापमान में हल्की वृद्धि होगी और इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश भी होगी। आज राजधानी रायपुर में दिन का तापमान 41 डिग्री और रात में 28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इतना ही नहीं मौसम विभाग ने बताया कि, प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तेज हवा चलने के साथ-साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

आइसक्रीम फैक्ट्री को किया सील

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा अंचल के निहारिका क्षेत्र अंतर्गत चैपाटी के पास संचालित आइसक्रीम फैक्ट्री के विरुद्ध मिली शिकायत के आधार पर नगर निगम और श्रम विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए उसको सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जाँच के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री में एक 17 साल का नाबालिग भी काम कर रहा था। इस मामले में बाल श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण बनाया गया है। अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण तैयार किया गया है और इसे न्यायालय में प्रकरण लगाया जाएगा। कोरबा जिला कलेक्टर अजीत वंसत द्वारा नियमों का उलंघन करने वाले फैक्ट्री के विरुद्ध शिकायत मिलने तथा अन्य समय पर जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

अवैध संबंध के शक में युवक पर किया प्राणघातक हमला

बिलासपुर (आरएनएस)। थाना सिविल लाइन क्षेत्रांतर्गत मरिमाई मंदिर के पास मोहम्मद मोबिन द्वारा ग्राम पिरैया निवासी जयपाल साहू पर घातक रूप से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। आरोपी मोहम्मद मोबिन अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था, जिस कारण उसकी पत्नी लगभग डेढ़ माह पूर्व घर छोडक़र चली गई थी। आज आरोपी ने इसी संदेह के चलते जयपाल साहू पर जानलेवा हमला किया। जयपाल साहू को घायल करने के पश्चात आरोपी अपनी पत्नी पर भी हमला करने के उद्देश्य से तिफरा स्थित उसके निवास की ओर रवाना हुआ, किंतु वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उक्त घटना की सूचना पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है । प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी द्वारा चरित्र शंका के कारण ही उक्त आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया गया है।

मतदाता सूची में सुधार के लिए देश भर में की गईं महज 89 प्राइमरी एवं 1 अंतिम अपील

छत्तीसगढ़ से कोई अपील नहीं

रायगढ़

देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (CEOs) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अब तक सिर्फ 89 प्राथमिक अपीलें और 1 अंतिम अपील ही दायर की गई हैं — वह भी केवल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पूर्व। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और 7 जनवरी 2025 को SSR के अंतिम प्रकाशन तक छत्तीसगढ़ सहित किसी अन्य राज्य में कोई अपील नहीं दायर की गई। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR)निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के बाद नामों के समावेशन या विलोपन को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा बहुत कम आपत्तियाँ दर्ज कराई गई हैं।

पूरे देश में SSR की व्यापक प्रक्रिया

यह रिपोर्ट देश के करीब 10.5 लाख मतदान केंद्रों और 4,123 विधानसभा क्षेत्रों में हुए SSR को समाहित करती है। इसमें उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का SSR भी शामिल है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुए, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली।

मतदाता सूची का सतत अद्यतन

निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची को पूरे वर्ष अद्यतन किया जाता है, सिवाय उस समय के जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया चल रही हो — अर्थात नामांकन की अंतिम तिथि से लेकर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन के बाद अब एक वर्ष में चार अहर्ता तिथियाँ निर्धारित की गई हैं — 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर। हालांकि, वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण केवल 1 जनवरी को संदर्भ तिथि मानकर ही किया जाता है।

अपील प्रक्रिया और नियम

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने या हटाए जाने के विरुद्ध पहले जिला मजिस्ट्रेट (DM) और फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के पास अपील कर सकता है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के अनुसार प्रथम अपील ERO (Electoral Registration Officer) के आदेश के 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास और द्वितीय अपील जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास दायर की जा सकती है। इन अपीलों में विलंब को नियम 27 के प्रावधान अनुसार क्षम्य भी माना जा सकता है, यदि सक्षम अधिकारी उचित समझें।

जहाँ एक ओर मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कई आरोप सार्वजनिक मंचों से लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कानूनी रूप से उपलब्ध प्रक्रियाओं का शायद ही कोई उपयोग किया गया है। हाल ही में 6 और 7 जनवरी 2025 को प्रकाशित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के दौरान, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में संशोधन (धारा 22) अथवा नामों की प्रविष्टि (धारा 23) के संबंध में धारा 24 के अंतर्गत शायद ही कोई प्रथम या द्वितीय अपील की गई हो। इसलिए, जनवरी 2025 में SSR की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों को सभी राजनीतिक दलों द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया मानना ही विकल्प रह जाता है।

गबन के मामले में फरार चल रहे तीन स्थायी वारंटियों को चक्रधरनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर किया न्यायालय पेश

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन पर जिलेभर में फरार आरोपियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना चक्रधरनगर पुलिस को वर्ष 2023 में दर्ज गबन के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे तीन वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

पुलिस ने ग्राम कलमीडीपा जुर्डा के निवासी प्यारेलाल संवरा (पिता श्रीधर संवरा, उम्र 46 वर्ष), सुनील कुमार भोय (पिता जेरकु भोय, उम्र 29 वर्ष) और श्याम मिंज (पिता धर्म सिंह, उम्र 35 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध स्थायी वारंट न्यायालय से जारी हुआ था, जिनकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी। विशेष अभियान के तहत तीनों को गिरफ्तार कर विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किया गया।

इस वारंटी पकड़ अभियान में एसआई गेंदलाल साहू, प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, आरक्षक अभय यादव और चंद्र कुमार बंजारे की सक्रिय भूमिका रही। चक्रधरनगर पुलिस की इस कार्रवाई से फरार आरोपियों के खिलाफ चल रहे सघन अभियान को बल मिला है, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

शादी का झांसा देकर शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, महिला थाना की टीम ने आरोपी को यूपी में पकड़ा

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में महिला थाना रायगढ़ की टीम ने दुष्कर्म के आरोपी चंदू यादव को उत्तर प्रदेश के भदोही से रायगढ़ लाया है। आरोपी के खिलाफ स्थानीय युवती ने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की शिकायत 9 अप्रैल 2025 को दर्ज कराई थी।

पीड़िता के अनुसार वर्ष 2023 में आरोपी चंदू यादव से परिचय हुआ था, जब वह रायगढ़ में किराए के मकान में रह रहा था। मई 2023 से आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे सम्बलपुर (ओडिशा) ले गया। अगस्त 2024 में मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया और खुद आसनसोल चला गया।

फरवरी 2025 में आरोपी ने अपने गांव में शादी करने की बात कही, लेकिन रिपोर्ट करने पर पीड़िता को आपत्तिजनक फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी।

पीड़िता के आवेदन पर महिला थाना रायगढ़ में अपराध क्रमांक 04/2025 धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर ने समूची घटना से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपी की तलाश में उत्तर प्रदेश भेजा गया, जहां से उसे अभिरक्षा में रायगढ़ लाया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

गिरफ्तारी अभियान में उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर, सहायक उप निरीक्षक विल्फ्रेड मसीह, प्रधान आरक्षक राजेश उरांव, संदीप भगत और आरक्षक सुरेंद्र भगत शामिल थे।

धरमजयगढ़ पुलिस का जनचौपाल: ग्राम खम्हार और मिरीगुड़ा ग्रामीणों को अपराध, साइबर ठगी और यातायात नियमों पर किया जागरूक

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा ग्राम खम्हार और मिरीगुड़ा में "पुलिस जन चौपाल" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को अपराध, साइबर ठगी, नशा, व यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया।

थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ने चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और समाधान के सुझाव दिए। इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जनता के बीच समन्वय को मज़बूत करने की बात कही गई।

जन चौपाल में मुख्य बिंदुओं पर जागरूकता दी गई:-

1. यातायात नियमों का पालन — हेलमेट पहनने और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील।

2. नाबालिगों से जुड़े अपराध — पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी गई, जिससे लोग सतर्क रहें और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

3. साइबर क्राइम से बचाव — डिजिटल अरेस्ट, फेक लिंक, अनजान कॉल/रिक्वेस्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने की समझाइश।

4. अवैध शराब बिक्री पर रोक— अवैध शराब न बेचने और नशे में वाहन न चलाने की सख्त हिदायत।

5. संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को दें — गांव में अजनबी, फेरीवाले या सोना-चांदी चमकाने के बहाने घूम रहे लोगों की सूचना पुलिस को देने की अपील।

6. ठगी से बचाव — ग्रामीणों को सस्ते सामान या लालच में आकर ठगों के झांसे में न आने की सलाह दी गई।

चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की और आश्वासन दिया कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देंगे। थाना प्रभारी द्वारा स्वयं का और बीट आरक्षकों का संपर्क नंबर भी ग्रामीणों से साझा किया गया। थाना प्रभारी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम और सतत पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस टीम ग्रामीणों तक पहुंचकर सीधे संवाद कर रही है ताकि अपराधों को जड़ से रोका जा सके।

अवैध शराब के विरूध कोतरा रोड पुलिस की लगातार कार्यवाई, नंदेली में पकड़ी गई 90 लीटर अवैध शराब, दो आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश पर जिलेभर में अवैध शराब के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एडिशनल एसपी आकाश मरकाम और डीएसपी सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा अपने समस्त बीट आरक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 19 अप्रैल को बीट आरक्षक से ग्राम नंदेली में अवैध शराब बिक्री की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल एक बार फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गांव में दबिश दी।

दिनांक 19 अप्रैल को दोपहर के समय थाना प्रभारी त्रिपाठी के नेतृत्व में एसआई कुसुम कैवर्त, एएसआई देव प्रसाद चौहान और हमराह स्टाफ ने ग्राम नंदेली में भ्रमण कर ग्रामीणों से समस्याएं सुनीं और इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शुभरन निषाद (उम्र 74 वर्ष) और बन्धन चौहान (उम्र 60 वर्ष, पिता गरीब चौहान) के घरों में दबिश दी गई। शुभरन निषाद के घर से 15-15 लीटर और 5 लीटर के प्लास्टिक जरीकेनों में भरकर रखी गई कुल 70 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 7,000 रुपये है, बरामद की गई। वहीं बन्धन चौहान के घर से 20 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत 2,000 रुपये, जब्त की गई। दोनों के विरुद्ध थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत अलग-अलग मामले पंजीबद्ध किए गए हैं।

इस कार्रवाई में उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, एएसआई डीपी चौहान, प्रधान आरक्षक जयप्रकाश सूर्यवशी, आरक्षक संदीप कौशिक, राजेश खाण्डे, शिवानंद प्रधान, संजय केरकेट्टा, दिलीप सिदार तथा महिला आरक्षक श्यामा सिदार की सक्रिय भागीदारी रही। पुलिस ने गांव में मुनादी कराकर लोगों को अवैध शराब के कारोबार से दूर रहने की चेतावनी दी और दोहराया कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे एक दिन पूर्व 18 अप्रैल को भी पुलिस ने नंदेली निवासी सबीना सारथी पति सीताराम सारथी (उम्र 35 वर्ष) के घर दबिश देकर 4 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की थी, जिस पर धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की लगातार कार्रवाई से गांव में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है और कोतरारोड़ पुलिस ने यह संकेत स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कारोबार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुसौर पुलिस की शराब रेड कार्यवाई: ग्राम तड़ोला से दो आरोपी गिरफ्तार, 12 लीटर महुआ शराब बरामद

रायगढ़

पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तड़ोला में आज पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 12 लीटर महुआ शराब बरामद की है। थाना प्रभारी पुसौर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

पहली कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी चुडामणी सारथी पिता सुबेल सारथी (उम्र 27 वर्ष) के कब्जे से 6 लीटर महुआ शराब बरामद की। वहीं, दूसरी कार्रवाई में आरोपी अगरदास जांगड़े पिता प्रहलाद जांगड़े (उम्र 40 वर्ष) निवासी तड़ोला के पास से भी 6 लीटर महुआ शराब जब्त की गई।

दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना पुसौर में धारा 34(2), 59-क छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इस रेड कार्रवाई में उप निरीक्षक कुंदनलाल गौर, आरक्षक अखिलेश कुशवाहा और ठंडाराम गुप्ता शामिल रहे।

तराईमाल और गेरवानी डीपापारा में पूंजीपथरा पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाई

- अंग्रेजी और महुआ शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पूंजीपथरा पुलिस ने आज दो अलग-अलग गांवों में कार्यवाही की गई।

तराईमाल "अपना ढाबा" में अंग्रेजी शराब की जप्ती-

पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम तराईमाल स्थित "अपना ढाबा" में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बिक्री हेतु रखी गई है। सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहाँ नारायण निषाद (उम्र 30 वर्ष), निवासी उज्जलपुर थाना पूंजीपथरा को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक नीले रंग के झोले में रखी 29 नग गोवा स्पेशल विस्की (180ml प्रति शीशी) बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 5220ml व अनुमानित कीमत रु.3,480 बताई गई है।

गेरवानी डीपापारा से देशी महुआ शराब जब्त-

ग्राम गेरवानी डीपापारा में भी पुलिस को अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिली। दबिश के दौरान सत्येन्द्र राम (उम्र 32 वर्ष) के घर से लगभग 06 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। दोनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। पूंजीपथरा पुलिस की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।

दोनों कार्रवाई में उप निरीक्षक विजय एक्का, सहायक उप निरीक्षक जयराम सिदार, प्रधान आरक्षक जगीत सिंह राठिया, आरक्षक विक्रम कुजूर, अदिकांत प्रधान, हेमसागर पटेल शामिल थे।

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम मई के प्रथम सप्ताह में

रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे मई के पहले सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। बताया गया कि आंसर सीट का मूल्यांकन पूरा हो चुका है. बोर्ड परीक्षाओं के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रदेश के 36 केन्द्रों में किया गया. माशिमं द्वारा मूल्यांकन दो चरणों में कराया गया. दूसरे चरण का मूल्यांकन पूरा करने के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई थी. माशिमं की अध्यक्ष रेणु जी. पिल्ले एवं सचिव पुष्पा साहू द्वारा रोजाना सभी जिले से मूल्यांकन की स्थिति की जानकारी ली गई. जिस केन्द्र में मूल्यांकन की रफ्तार धीमी थी, वहां वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर तेजी लाने की व्यवस्था की गई. मूल्यांकन के पूर्व ही समस्त मूल्यांकन केन्द्र के प्रभारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसके अनुसार ही मूल्यांकन कराया गया.बताते हैं कि इस बार मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या बढ़ाई गई ताकि न केवल मूल्यांकन समय पर पूरा हो सके, बल्कि किसी मूल्यांकनकर्ता के अनुपस्थित रहने पर भी संबंधित विषय का मूल्यांकन कार्य प्रभावित न हो. प्राप्त जानकारी के अनुसार माशिमं मई के पहले सप्ताह में दोनों परीक्षाओं के नतीजे एक साथ घोषित करने की तैयारियों में जुटा हुआ है. मूल्यांकन के तत्काल बाद नतीजे तैयार करने का काम तेजी से हो रहा है. पिछले साल 9 मई को आए थे नतीजे -माशिमं द्वारा पिछले साल 9 मई को दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी किए गए थे. कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 75.61 फीसदी था. वहीं 12वीं में 80.74 फीसदी विद्यार्थ उत्तीर्ण हुए थे. इस बार 9 मई के पहले नतीजे घोषित किए जाने की संभावना है. हर साल की तरह दोनों कक्षाओं की अस्थायी प्रावीण्य सूची भी जारी की जाएगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480